# न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

प्रकरण संख्या 20/2020

जितेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा साकेत कालोनी देवली जिला– टोंक

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवली टोंक

––प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

निर्णय दिनांक 26–8–2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली को आवेदन पत्र दिनांक 24–2–2020 प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

1 देवली गांव स्थित खसरा नं. 4378 (किस्म जमीन बारानी) खातेदार किशन रेगर, के द्वारा बेचान किए गये प्लॉट के खरीददारों के नाम व पते तथा उक्त खसरा नं. के भू रूपान्तरण आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करायें। भू रूपान्तरण आदेश क्रमांक 1067 दिनांक 07.10.1996 तथा आदेश क्रमांक 562, दिनांक 19.07.1997 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली ने उनके पत्र क्रमांक 821 दिनाक 10–8–2020 से अवगत करवाया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना की पत्रावली श्रीमान के कार्यालय के पत्र क्रमांक 1580/राजस्व/97 दिनांक 10–4–1997 से तलब करने के कारण कार्यालय के पत्र क्रमांक 132 दिनांक 10–9–1997 से श्रीमान के कार्यालय में भिजवाई गई थी, पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदक को सूचना नहीं दी गई। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली का दायित्व था कि अपीलार्थी को

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.07 15:55:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

सूचना उपलब्ध करवाते अथवा प्रार्थी का आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत जिला कार्यालय में अन्तरित कर आवेदक को सूचित करते कि वांछित सूचना जिला कार्यालय से प्राप्त करें। किन्तु लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली द्वारा ऐसा नहीं किया। जबकि अपीलान्ट उक्त अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली को निर्देशित किया जाता है कि वह जिला कार्यालय से पत्रावली प्राप्त/तलाश कर अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एव तहसीलदार देवली को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.07 15:55:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner